①

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2018 निगरानी

निगरानी-3695/2018/सतना/भू.रा.

1. रामरतन त्रिपाठी पुत्र श्री वाल्मीक
2. रामचेतन त्रिपाठी पुत्रश्री वाल्मीक
3. विनोद पिता श्री सीताराम त्रिपाठी
4. प्रदीप त्रिपाठी पुत्र श्री इन्द्रजीत त्रिपाठी समस्त निवासीगण बरूआ तहसील मझगवा जिला सतना म.प्र0

श्री ______ द्वारा आज दि0 19-6-18 प्रस्तुत! प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 26-6-18 नियत।
क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल, म.प्र. 19-6-18

-- आवेदकगण

बनाम

1.सतंशरण पिता रामरूद्र
2.रावेन्द्र पिता रामरूद निवासीगण बरूआ तहसील मझगवा जिला सतना

-- अनावेदकगण

<u>निगरानी आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता,1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 8.06.2018 पारित द्वारा अधीनस्थ न्यायालय राजस्व निरीक्षक बृत मझगवा जिला सतना के प्रकरण क्रमांक 139/अ-12/2017-18</u>

19/6/18

आवेदकगण की ओर से निगरानी आवेदन पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत हैः-

<u>प्रकरण के संक्षिप्त तथ्यः-</u>

1. यहकि, अनावेदकगण ध्दारा ग्राम बरूआ हल्का पिण्डरा के आराजी सर्वे नं 1105/1 ख रकवा 0.030 ,1105 /1क रकवा 0.031 ,1108/2/1 रकवा 0.036 ,1108/2/3 रकवा 0.037 1108/2/4 रकवा 0.036 ,1108/2/2 हे रकवा 0.148 का सीमाकनं कराये जाने हेतु आवेदन पत्र दिया जिस आवेदन पत्र

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-3695/2018/सतना/भू.रा. रामरतन विरूद्ध संतशरण

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
27-06-2018	आवेदक अभिभाषक श्री सुनील सिंह जादौन उपस्थित। उभय उनके द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । यह निगरानी राजस्व निरीक्षक वृत मझगवा जिला सतना के प्रकरण क्रमांक 139/अ-12/2017-18 में पारित आदेश दिनांक 08-06-2018 के विरूद्ध इस न्यायलाय में प्रस्तुत की गई है। 1. आवेदक अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि सीमांकन प्रक्रिया की सूचना आवेदक व उसके परिवार के किसी भी सदस्य को नहीं दी गई। उक्त सीमांकन बिना किसी हितबद्ध पक्षकार को सूचना दिये कराया गया है जो विधि विपरीत है। यह भी कहा गया कि सीमांकन प्रतिवेदन पर उसके हस्ताक्षर नहीं है, ना ही वह सीमांकन के समय वहां उपस्थित था। प्रकरण में आवेदक व अन्य पड़ोसी काश्तकारों को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना ही सीमांकन आदेश पारित किया गया है जो अनुचित होने से अपास्त किये जाने योग्य है। 2. अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की सत्यप्रतिलिपि व उसके साथ संलग्न सूचना पत्र व पंचनामा का अवलोकन किया गया। सूचना पत्र दिनांक 11-05-2018 देखने से प्रतीत होता है कि सूचना पत्र भेजा गया था, जिस पर टीप अंकित की गई है कि निगरानीकर्ता के द्वारा हस्ताक्षर से इंकार किया गया है। पंचनामा अनुसार सीमांकन के दौरान आवेदक के हस्ताक्षर नहीं है, लेकिन अन्य 12 सरहदी काश्तकारों के हस्ताक्षर/अंगूठा हैं।	

3. निगरानी आवेदक के अवलोकन के साथ संलग्न अधीनस्थ न्यायालय की आदेश पत्रिका व अभिलेख से स्पष्ट प्रतीत होता है कि निगरानीकर्ता को छोड़कर अन्य 12 सरहदी भूमिस्वामी सीमांकन कार्यवाही में उपस्थित थे एवं उनके द्वारा हस्ताक्षर/अंगूठा भी किये गये हैं। निगरानीकर्ता के हस्ताक्षर/अंगूठा उसके नाम के समक्ष नहीं है । सीमांकन के पंचनामा पर निगरानीकर्ता के हस्ताक्षर नहीं है ।
4. राजस्व मण्डल द्वारा पूर्व में परमानन्द विरूद्ध रानीदेवी 1978 आर.एन. 393, राजधानी वि म्यूनिसिपल विरूद्ध म्यूनिसिपल कमेटी, अम्बाह 1970 स.नि. 593 में यह स्पष्ट अभिनिर्धारित किया है कि धारा 129 एमपीएलआरसी के अधीन की गई कार्यवाही प्रशासकीय है, उससे कोई विनिश्चय नहीं होता है। सामान्यत: कुछ आवश्यक परिस्थितियों, यथा परिवर्तन बंटवारा, स्वयं की भूमि पर दूसरे का अतिक्रमण, विक्रय के समय इत्यादि में ही कोई भूमिस्वामी अपनी भूमि का सीमांकन नियमानुसार फीस जमा कराकर कराता है। अपनी भूमि का सीमांकन कराना भूमिस्वामी का अधिकार है, जिससे किसी भूमिस्वामी को इस आधार पर वंचित नहीं किया जा सकता है कि समीपस्थ काश्तकार को सूचना नहीं दी गई थी या वह अनुपस्थित था अथवा उसके द्वारा सीमांकन पंचनामे पर हस्ताक्षर नहीं किये गये हैं
5. स्वरूपाबाई विरूद्ध दशरथसिंह 1988 आर.एन. 105 एवं रामसुशील शर्मा विरूद्ध हरिभजन तिवारी 2010 आर.एन. 259 में निर्धारित किया गया है कि पड़ोसी काश्तकार को सीमांकन की सूचना आवश्यक रूप से दी जाये, किन्तु यदि सीमांकन पक्षकारों की उपस्थिति में किया गया हो या एक पक्षकार कार्यवाही पर हस्ताक्षर से मना कर दे, तब यह नहीं माना जा सकता है कि सीमांकन उसकी अनुपस्थिति में किया गया है। (जगदीशसिंह विरूद्ध जगदीशसिंह 1987 आर.एन. 391)
6. उपरोक्त विवेचना के अनुक्रम में अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा किये गये सीमांकन का क्रियान्वयन तीन माह के लिए

स्थगित करते हुए निगरानीकर्ता को निर्देशित किया जाता है कि वह अपनी भूमि के सीमांकन हेतु इस आदेश की प्रति के साथ 15 दिवस की अवधि के अंदर सक्षम राजस्व अधिकारी को विधिवत आवेदन दें एवं ऐसा सक्षम राजस्व अधिकारी म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 एवं उसके अंतर्गत बनाये नियमों का पालन करते हुये इस आदेश दिनांक से तीन माह की समय सीमा में सीमांकन करना सुनिश्चित करेगा।

7. निगरानीकर्ता के द्वारा 15 दिवस की अवधि में अधीनस्थ राजस्व अधिकारी को विधिवत आवेदन न करने की स्थिति में इस न्यायालय द्वारा जारी स्थगन का कोई प्रभाव नहीं रहेगा।

8. यह आदेश उभयपक्षों एवं सीमांकन के लिए सक्षम राजस्व अधिकारी पर बंधनकारी रहेगा । इस आदेश की एक प्रति संबंधित न्यायालय को भेजी जाये ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर इस निगरानी का निराकरण इसी स्तर पर किया जाता है ।

सदस्य
27/6

शीर्ष